

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 397/2026

Mukesh Son Of Ramkhiladi, R/o Gaonwadi, P.s. Shri Mahaveerji,
District Karauli (At Present District Jail Karauli)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Jiya Ur Rahman, Adv.
For Respondent(s)	: Ms. Manju Dave, PP Mr. Rajneesh Gupta, Adv. Mr. Rahul Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

23/02/2026

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा कुछ देर बहस करने के उपरांत चारों आहतगण के विचारण न्यायालय के समक्ष बयान लेखबद्ध होने के उपरांत नवीन जमानत आवेदन पेश की स्वतंत्रता के साथ वापिस लिये जाने का निवेदन किया।

परिणामतः उपरोक्त स्वतंत्रता प्रदान करते हुए प्रार्थी—अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत आवेदन वापिस लिये जाने के आधार पर खारिज किया जाता है।

विचारण न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त पक्ष द्वारा इस आदेश की प्रति पेश किये जाने की दिनांक से यथासंभव 15 दिवस में आरोप के बिंदु पर सुनकर आदेश पारित करे तथा यदि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित होता है तो आज से तीन माह में सभी आहतगण के बयान प्राथमिकता से लेखबद्ध करने का प्रयास करे। परिवादी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता आज उपस्थित है, उन्हें भी निर्देश दिया जाता है कि वे न्यायालय से प्रोसेस जारी होने पर समय पर उपस्थित होकर विचारण में सहयोग करें।

उपरोक्त चारों गवाहान के बयान लेखबद्ध होने के पश्चात् अथवा तीन माह उपरांत, जो भी पूर्ववर्ती हो, अभियुक्त नवीन जमानत आवेदन पेश करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /02